



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28022020-216453
CG-DL-E-28022020-216453

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 829]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 28, 2020/फाल्गुन 9, 1941

No. 829]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 28, 2020/PHALGUNA 9, 1941

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2020

का.आ. 903(अ).—संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा यथासंशोधित संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 के खंड (3) के उपबंधों के अधीन संसद् ने परिसीमन अधिनियम, 2002 अधिनियमित किया है और वर्ष 2001 में की गई जनगणना द्वारा यथा- अभिनिश्चित जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः संयोजन करने के लिए परिसीमन आयोग गठित किया गया था ;

और, परिसीमन आयोग ने परिसीमन कार्य पूरा कर लिया है तथा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के सिवाय सभी राज्यों के संबंध में 26 नवंबर, 2008 को परिसीमन आदेश, 2008 प्रकाशित किया गया था;

और, राष्ट्रपति ने परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसमें भारत की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न होने की संभावना थी तथा शांति और लोक व्यवस्था को गंभीर चुनौती थी, असम राज्य में परिसीमन कार्य को अधिसूचना सं. का.आ. 283(अ), तारीख 8 फरवरी, 2008 द्वारा अस्थगित कर दिया था ;

और, असम राज्य की सुरक्षा अवस्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। उपद्रव की घटनाओं में भी कमी हुई है और राज्य की विधि और व्यवस्था में सुधार हुआ है, जिससे परिसीमन कार्य, जिसे राज्य में वर्ष 2008 में अस्थगित कर दिया गया था, करने के लिए अनुकूल स्थिति तैयार हुई है। इसलिए, यह प्रतीत होता है कि परिस्थितियां, जिनके कारण असम राज्य में परिसीमन कार्य अस्थगित करना पड़ा था, अब, विद्यमान नहीं है और परिसीमन अधिनियम, 2002 के अधीन यथा परिकल्पित निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को अब किया जा सकता है।

अतः, राष्ट्रपति, यह समाधान हो जाने पर कि परिस्थितियां, जिनके कारण असम राज्य में परिसीमन कार्य को अस्थगित करना पड़ा था, अब विद्यमान नहीं है, अधिसूचना सं. का.आ. 283(अ), तारीख 8 फरवरी, 2008 को विखंडित करते हैं, जिसमें परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) के उपबंधों के अनुसार असम राज्य के लोक सभा और राज्य विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन किया जा सके।

[फा. सं. एच-11019/3/2019-वि.II]

डॉ. जी. नारायण राजू, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

ORDER

New Delhi, the 28th February, 2020

S.O. 903(E).—Whereas under the provisions of article 82 and clause (3) of article 170 of the Constitution, as amended by the Constitution (Eight-fourth Amendment) Act, 2001, Parliament has enacted the Delimitation Act, 2002 and a Delimitation Commission was set up to readjust the division of each State and Union territory into territorial constituencies for the purpose of elections to the House of the People and to the State Legislative Assemblies on the basis of census figures as ascertained at the census taken in the year 2001;

And whereas the Delimitation Commission completed the delimitation exercise and the Delimitation Order, 2008 in respect of all States, except Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland, was published on 26th November, 2008;

And whereas the President in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 10A of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), and on being satisfied that a situation had arisen where the unity and integrity of India was likely to be threatened and there was serious threat to the peace and public order, deferred the delimitation exercise in the State of Assam vide notification number S.O. 283(E), dated the 8th February, 2008;

And whereas there is a significant improvement in the security situation in the State of Assam. There is also reduction in insurgency incidents and improvement in law and order of these States making the situation conducive for carrying out the delimitation exercise which was deferred in the State in the year 2008. Therefore, it appears that the circumstances that led to the deferring of the delimitation exercise in the State of Assam have ceased to exist and that the delimitation of the constituencies as envisaged under the Delimitation Act, 2002 could be carried out now.

Now, the President, being satisfied that the circumstances that led to the deferring of the delimitation exercise in the State of Assam have ceased to exist, is pleased to rescind the notification number S.O. 283(E), dated the 8th February, 2008 so as to readjust the division of the State of Assam into territorial constituencies for the purpose of elections to the House of the People and to the State Legislative Assembly in accordance with the provisions of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002).

[F. No. H-11019/3/2019-Leg.II]

Dr. G. NARAYANA RAJU, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2020

का.आ. 904(अ).—संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा यथासंशोधित संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 के खंड (3) के उपबंधों के अधीन संसद् ने परिसीमन अधिनियम, 2002 अधिनियमित किया है और वर्ष 2001 में की गई जनगणना द्वारा यथा-अभिनिश्चित जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः संयोजन करने के लिए परिसीमन आयोग गठित किया गया था ;

और, परिसीमन आयोग ने परिसीमन कार्य पूरा कर लिया है तथा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के सिवाय सभी राज्यों के संबंध में 26 नवंबर, 2008 को परिसीमन आदेश, 2008 प्रकाशित किया गया था ;

और, राष्ट्रपति ने परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसमें भारत की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न होने की संभावना थी तथा शांति और लोक व्यवस्था को गंभीर चुनौती थी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में परिसीमन कार्य को अधिसूचना सं. का.आ. 284(अ), तारीख 8 फरवरी, 2008 द्वारा अस्थगित कर दिया था ;

और, अरुणाचल प्रदेश राज्य की सुरक्षा अवस्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। उपद्रव की घटनाओं में भी कमी हुई है और राज्य की विधि और व्यवस्था में सुधार हुआ है, जिससे परिसीमन कार्य, जिसे राज्य में वर्ष 2008 में अस्थगित कर दिया गया था, करने के लिए अनुकूल स्थिति तैयार हुई है। इसलिए, यह प्रतीत होता है कि परिस्थितियां, जिनके कारण अरुणाचल प्रदेश राज्य में परिसीमन कार्य अस्थगित करना पड़ा था, अब, विद्यमान नहीं हैं और परिसीमन अधिनियम, 2002 के अधीन यथा-परिकल्पित निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को अब किया जा सकता है।

अतः, राष्ट्रपति, यह समाधान हो जाने पर कि परिस्थितियां, जिनके कारण अरुणाचल प्रदेश राज्य में परिसीमन कार्य को अस्थगित करना पड़ा था, अब विद्यमान नहीं हैं, अधिसूचना सं. का.आ. 284(अ), तारीख 8 फरवरी, 2008 को विखंडित करते हैं, जिसमें परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) के उपबंधों के अनुसार अरुणाचल प्रदेश राज्य के लोक सभा और राज्य विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन किया जा सके।

[फा. सं. एच-11019/3/2019-वि.II]

डॉ. जी. नारायण राजू, सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th February, 2020

S.O. 904(E).—Whereas under the provisions of article 82 and clause (3) of article 170 of the Constitution, as amended by the Constitution (Eight-fourth Amendment) Act, 2001, Parliament has enacted the Delimitation Act, 2002 and a Delimitation Commission was set up to readjust the division of each State and Union territory into territorial constituencies for the purpose of elections to the House of the People and to the State Legislative Assemblies on the basis of census figures as ascertained at the census taken in the year 2001;

And whereas the Delimitation Commission completed the delimitation exercise and the Delimitation Order, 2008 in respect of all States, except Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland, was published on 26th November, 2008;

And whereas the President in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 10A of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), and on being satisfied that a situation had arisen where the unity and integrity of India was likely to be threatened and there was serious threat to the peace and public order, deferred the delimitation exercise in the State of Arunachal Pradesh vide notification number S.O. 284(E), dated the 8th February, 2008;

And whereas there is a significant improvement in the security situation in the State of Arunachal Pradesh. There is also reduction in insurgency incidents and improvement in law and order of the State making the situation conducive for carrying out the delimitation exercise which was deferred in the State in the year 2008. Therefore, it appears that the circumstances that led to the deferring of the delimitation exercise in the State of Arunachal Pradesh have ceased to exist and that the delimitation of the constituencies as envisaged under the Delimitation Act, 2002 could be carried out now.

Now, the President, being satisfied that the circumstances that led to the deferring of the delimitation exercise in the State of Arunachal Pradesh have ceased to exist, is pleased to rescind the notification number S.O. 284(E), dated the 8th February, 2008 so as to readjust the division of the State of Arunachal Pradesh into territorial constituencies for the purpose of elections to the House of the People and to the State Legislative Assembly in accordance with the provisions of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002.).

[F. No. H-11019/3/2019-Leg.II]

Dr. G. NARAYANA RAJU, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2020

का.आ. 905(अ).—संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा यथासंशोधित संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 के खंड (3) के उपबंधों के अधीन संसद् ने परिसीमन अधिनियम, 2002 अधिनियमित किया है और वर्ष 2001 में की गई जनगणना द्वारा यथा-अभिनिश्चित जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः संयोजन करने के लिए परिसीमन आयोग गठित किया गया था ;

और, परिसीमन आयोग ने परिसीमन कार्य पूरा कर लिया है तथा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के सिवाय सभी राज्यों के संबंध में 26 नवंबर, 2008 को परिसीमन आदेश, 2008 प्रकाशित किया गया था ;

और, राष्ट्रपति ने परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसमें भारत की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न होने की संभावना थी तथा शांति और लोक व्यवस्था को गंभीर चुनौती थी, मणिपुर राज्य में परिसीमन कार्य को अधिसूचना सं. का.आ. 286(अ), तारीख 8 फरवरी, 2008 द्वारा अस्थगित कर दिया था ;

और, मणिपुर राज्य की सुरक्षा अवस्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। उपद्रव की घटनाओं में भी कमी हुई है और राज्य की विधि और व्यवस्था में सुधार हुआ है, जिससे परिसीमन कार्य, जिसे राज्य में वर्ष 2008 में अस्थगित कर दिया गया था, करने के लिए अनुकूल स्थिति तैयार हुई है। इसलिए, यह प्रतीत होता है कि परिस्थितियां, जिनके कारण मणिपुर राज्य में परिसीमन कार्य अस्थगित करना पड़ा था, अब, विद्यमान नहीं हैं और परिसीमन अधिनियम, 2002 के अधीन यथा-परिकल्पित निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को अब किया जा सकता है।

अतः, राष्ट्रपति, यह समाधान हो जाने पर कि परिस्थितियां, जिनके कारण मणिपुर राज्य में परिसीमन कार्य को अस्थगित करना पड़ा था, अब विद्यमान नहीं हैं, अधिसूचना सं. का.आ. 286(अ), तारीख 8 फरवरी, 2008 को विखंडित करते हैं, जिसमें परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) के उपबंधों के अनुसार मणिपुर राज्य के लोक सभा और राज्य विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन किया जा सके।

[फा. सं. एच-11019/3/2019-वि.II]

डॉ. जी. नारायण राजू, सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th February, 2020

S.O. 905(E).—Whereas under the provisions of article 82 and clause (3) of article 170 of the Constitution, as amended by the Constitution (Eight-fourth Amendment) Act, 2001, Parliament has enacted the Delimitation Act, 2002 and a Delimitation Commission was set up to readjust the division of each State and Union territory into territorial constituencies for the purpose of elections to the House of the People and to the State Legislative Assemblies on the basis of census figures as ascertained at the census taken in the year 2001;

And whereas the Delimitation Commission completed the delimitation exercise and the Delimitation Order, 2008 in respect of all States, except Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland, was published on 26th November, 2008;

And whereas the President in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 10A of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), and on being satisfied that a situation had arisen where the unity and integrity of India was likely to be threatened and there was serious threat to the peace and public order, deferred the delimitation exercise in the State of Manipur vide notification number S.O. 286(E), dated the 8th February, 2008;

And whereas there is a significant improvement in the security situation in the State of Manipur. There is also reduction in insurgency incidents and improvement in law and order of the State making the situation conducive for carrying out the delimitation exercise which was deferred in the State in the year 2008. Therefore, it appears that the circumstances that led to the deferring of the delimitation exercise in the State of Manipur have ceased to exist and that the delimitation of the constituencies as envisaged under the Delimitation Act, 2002 could be carried out now.

Now, the President, being satisfied that the circumstances that led to the deferring of the delimitation exercise in the State of Manipur have ceased to exist, is pleased rescind the notification number S.O. 286(E), dated the 8th February, 2008 so as to readjust the division of the State of Manipur into territorial constituencies for the purpose of elections to the House of the People and to the State Legislative Assembly in accordance with the provisions of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002).

[F. No. H-11019/3/2019-Leg.II]

Dr. G. NARAYANA RAJU, Secy.

आदेश

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2020

का.आ. 906(अ).—संविधान (चौरासीवां संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा यथासंशोधित संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 के खंड (3) के उपबंधों के अधीन संसद् ने परिसीमन अधिनियम, 2002 अधिनियमित किया है और वर्ष 2001 में की गई जनगणना द्वारा यथा-अभिनिश्चित जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः संयोजन करने के लिए परिसीमन आयोग गठित किया गया था ;

और, परिसीमन आयोग ने परिसीमन कार्य पूरा कर लिया है तथा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड के सिवाय सभी राज्यों के संबंध में 26 नवंबर, 2008 को परिसीमन आदेश, 2008 प्रकाशित किया गया था ;

और, राष्ट्रपति ने परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) की धारा 10क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी, जिसमें भारत की एकता और अखंडता को खतरा उत्पन्न होने की संभावना थी तथा शांति और लोक व्यवस्था को गंभीर चुनौती थी, नागालैंड राज्य में परिसीमन कार्य को अधिसूचना सं. का.आ. 285(अ), तारीख 8 फरवरी, 2008 द्वारा अस्थगित कर दिया था ;

और, नागालैंड राज्य की सुरक्षा अवस्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है। उपद्रव की घटनाओं में भी कमी हुई है और राज्य की विधि और व्यवस्था में सुधार हुआ है, जिससे परिसीमन कार्य, जिसे राज्य में वर्ष 2008 में अस्थगित कर दिया गया था, करने के लिए अनुकूल स्थिति तैयार हुई है। इसलिए, यह प्रतीत होता है कि परिस्थितियां, जिनके कारण नागालैंड राज्य में परिसीमन कार्य अस्थगित करना पड़ा था, अब, विद्यमान नहीं है और परिसीमन अधिनियम, 2002 के अधीन यथा-परिकल्पित निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को अब किया जा सकता है।

अतः, राष्ट्रपति, यह समाधान हो जाने पर कि परिस्थितियां, जिनके कारण नागालैंड राज्य में परिसीमन कार्य को अस्थगित करना पड़ा था, अब विद्यमान नहीं है, अधिसूचना सं. का.आ. 285(अ), तारीख 8 फरवरी, 2008 को विखंडित करते हैं, जिसमें परिसीमन अधिनियम, 2002 (2002 का 33) के उपबंधों के अनुसार नागालैंड राज्य के लोक सभा और राज्य विधान सभा के निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का पुनः समायोजन किया जा सके।

[फा. सं. एच-11019/3/2019-वि.II]

डॉ. जी. नारायण राजू, सचिव

ORDER

New Delhi, the 28th February, 2020

S.O. 906(E).—Whereas under the provisions of article 82 and clause (3) of article 170 of the Constitution, as amended by the Constitution (Eight-fourth Amendment) Act, 2001, Parliament has enacted the Delimitation Act, 2002 and a Delimitation Commission was set up to readjust the division of each State and Union territory into territorial constituencies for the purpose of elections to the House of the People and to the State Legislative Assemblies on the basis of census figures as ascertained at the census taken in the year 2001;

And whereas the Delimitation Commission completed the delimitation exercise and the Delimitation Order, 2008 in respect of all States, except Assam, Arunachal Pradesh, Manipur and Nagaland, was published on 26th November, 2008.

And whereas the President in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 10A of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), and on being satisfied that a situation had arisen where the unity and integrity of India was likely to be threatened and there was serious threat to the peace and public order, deferred the delimitation exercise in the State of Nagaland vide notification number S.O. 285(E), dated the 8th February, 2008;

And whereas there is a significant improvement in the security situation in the State of Nagaland. There is also reduction in insurgency incidents and improvement in law and order of the State making the situation conducive for carrying out the delimitation exercise which was deferred in the State in the year 2008. Therefore, it appears that the circumstances that led to the deferring of the delimitation exercise in the State of Nagaland have ceased to exist and that the delimitation of the constituencies as envisaged under the Delimitation Act, 2002 could be carried out now.

Now, the President, being satisfied that the circumstances that led to the deferment of the delimitation exercise in the State of Nagaland have ceased to exist, is pleased to rescind the notification number S.O. 285(E), dated the 8th February, 2008 so as to readjust the division of the State of Nagaland into territorial constituencies for the purpose of elections to the House of the People and to the State Legislative Assembly in accordance with the provisions of Delimitation Act, 2002 (33 of 2002).

[F. No. H-11019/3/2019-Leg.II]

Dr. G. NARAYANA RAJU, Secy.